



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112025-267900
CG-DL-E-21112025-267900

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5162]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2025/कार्तिक 30, 1947

No. 5162]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2025/KARTIKA 30, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2025

का.आ. 5338(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3-क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का.आ. 542 (अ) तारीख 30 जनवरी 2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -2, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6) के किमी. 508.100 से कि.मी. 544.200 कि.मी. तक के भूखण्ड (भंडारा-नागपूर सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने /चार लेन का बनाने/छह लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है. के निर्माण के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3-क की उपधारा (3) के अधीन 05 मार्च 2025 तारीख को “लोकमत” (मराठी) और “हितवाद” (अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है:

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3-घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी को उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3-घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3-घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6) के किमी. 508.100 से किमी 544.200 तक के भूखण्ड (भंडारा-नागपुर सेक्शन) के लिये अर्जन कि जानेवाली संरचना रही अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: नागपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कम्पटी					
गांव का नाम: आसोली					
1	1/1, 1/2	निजी (प्राइवेट)	नॉन-एग्रीकल्चरल	0.01363	विजय चंदुलाल गोकलानी हिरामणी चंदुलाल गोकलानी (प्लॉट नंबर 1) 1/1/2/1
2	1/1, 1/2	निजी (प्राइवेट)	नॉन-एग्रीकल्चरल	0.010878	पुजा विजय गोकलानी, प्रिती दिनेश गोकलानी (प्लॉट नंबर 2) 1/1/2/2
3	1/1, 1/2	निजी (प्राइवेट)	नॉन-एग्रीकल्चरल	0.013553	सुनिल ग्यानचंद कोचर (प्लॉट नंबर 3) 1/1/2 Plot No. 3
4	1/1, 1/2	निजी (प्राइवेट)	नॉन-एग्रीकल्चरल	0.049518	मिना रमेश वासवानी, रमेश दानचंद्र वासवानी, अहिल्या लालचंद्र मिरचंदानी, कांता रमेश चांदी (प्लॉट नंबर 4. 5. 6) 1/1/2/4/5/6
5	1/1, 1/2	निजी (प्राइवेट)	नॉन-एग्रीकल्चरल	0.0081	दिगांबर महादेवजी जिभकाटे, प्यारेलाल महादेव जिभकाटे (प्लॉट नंबर 7) 1/1 paiki plot 7
6	1/1, 1/2	निजी (प्राइवेट)	नॉन-एग्रीकल्चरल	0.0081	बाळक्रीष्णा संपतराव बावनकुळे (प्लॉट नंबर 7- अ) 1/1/paiki/7/A

7	1/1, 1/2	निजी (प्राइवेट)	नॉन-एग्रीकल्चरल	0.018986	कांताबाई वासुदेवराव घाटोळे (प्लॉट नंबर 8) 1/1/2/8
8	1/1, 1/2	निजी (प्राइवेट)	नॉन-एग्रीकल्चरल	0.019978	निलेश मंगलदास पोंडा (प्लॉट नंबर 9) 1/1/2/9
9	1/1, 1/2	निजी (प्राइवेट)	नॉन-एग्रीकल्चरल	0.0402	अनिल ग्यानचंद कोचर (प्लॉट नंबर 10) 1/1/2/plot/10
Total				0.182943	

[फा. सं. NHAI/LA/NH-6/2017/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st November, 2025

S.O. 5338(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. No. 542 (E), dated the 30th January 2025, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / Four-Six laning etc), maintenance, management and operation of National Highway No. 53 (Old NH-6), in the stretch of land from Km. 508.100 to Km. 544.200 (Bhandara-Nagpur Section) in the District of Nagpur in the state of Maharashtra. Hereby declares its intention to acquire such land.

And whereas, the substance of the said notification has been published in "Lokmat" (Marathi) and "The Hitavada" (English) both dated 05th March 2025, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received from any person by the Competent Authority:

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said, Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from from Km. 508.100 to Km. 544.200 (Bhandara-Nagpur Section) in the District of Nagpur in the state of Maharashtra

State: MAHARASHTRA			District: NAGPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Kamptee					
Village: Aasoli					
1	1/1, 1/2	Private	Non-Agricultural	0.01363	Vijay Chandulal Goklani, Hiramani Chandulal Goklani (Plot No.1) 1/1/2/1

2	1/1, 1/2	Private	Non-Agricultural	0.010878	Puja Vijay Goklani, Priti Dinesh Goklani (Plot No. 2) 1/1/2/2
3	1/1, 1/2	Private	Non-Agricultural	0.013553	Sunil Ghyanchand Kochar (Plot No. 3) 1/1/2 Plot No. 3
4	1/1, 1/2	Private	Non-Agricultural	0.049518	Meena Ramesh Waswani, Ramesh Danchandra Waswani, Ahilya Ramchandra Mirchandani, Kanta Ramesh Chandi (Plot No. 4,5,6) 1/1/2/4/5/6
5	1/1, 1/2	Private	Non-Agricultural	0.0081	Digambar Mahadeoji Jibhkate, Pyarelal Mahadeo Jibhkate (Plot No. 7) 1/1 paiki plot 7
6	1/1, 1/2	Private	Non-Agricultural	0.0081	Balkrushna Sampatrao Bawankule (Plot No. 7-A) 1/1/paiki/7/A
7	1/1, 1/2	Private	Non-Agricultural	0.018986	Kantabai Wasudeorao Ghatole (Plot No. 8) 1/1/2/8
8	1/1, 1/2	Private	Non-Agricultural	0.019978	Nilesh Mangaldas Ponda (Plot No. 9) 1/1/2/9
9	1/1, 1/2	Private	Non-Agricultural	0.0402	Anil Ghyanchand Kochar (Plot No. 10) 1/1/2/plot/10
Total				0.182943	

[F. No. NHAI/LA/NH-6/2017/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director